इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मई 2015—वैशाख 21, शक 1937

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2015

क्र० एफ 2-1/2015/छब्बीस–1. –भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय के सदस्यों की तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) (भर्ती एवं सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2014 है।
   (2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं :– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,–
   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, संचालनालय, मध्यप्रदेश ;
   (ख) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश ;
   (ग) "समिति" से अभिप्रेत है विभागीय पदोन्नति समिति ;
   (घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण", संचालनालय, मध्यप्रदेश ;
   (ङ) "निःशक्तजन" से अभिप्रेत है, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) में यथापरिभाषित निःशक्त व्यक्ति ;

(च) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, सेवा में भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा ;

(छ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;

(ज) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल ;

(झ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर ,1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(ञ) ''व्यावसायिक परीक्षा मण्डल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल जो सेवा में भर्ती हेतु परीक्षा संचालित करेगा ;

(ट) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(ठ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो ;

(ड) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समूह अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो ;

(ढ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा ;

(ण) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना:–

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन:–

सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–1 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका:–

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीको से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा या चयन द्वारा ;

(ख) अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथा दर्शित पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूल हैसियत में धारण कर रहे हों जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उप नियम (1) के खंड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविर्निदिष्ट पदों की संख्या अनुसूची–दो में दर्शाई गई प्रतिशतता से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उप नियम में विर्निदिष्ट किए गए सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

7. सेवा में नियुक्ति :– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–6 में विर्निदिष्ट भर्ती के तरीको में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें :-

चयन के लिए पात्र होने हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(एक) आयु –

(क) उसने चयन/भर्ती प्रारंभ होने की तारीख को आगामी प्रथम जनवरी को अनुसूची–तीन के कालम (3) में विर्निदिष्ट 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में विर्निदिष्ट 40 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ख) अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा उस सीमा तक तथा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :–

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ;

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष से अधिक नहीं हो,

स्पष्टीकरणः— शब्द "छटनी किए गए सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(चार) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष से पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने कारण छटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित किया गया हो, अर्थात् : —

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व सेवा निवृत्त (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिसे

(क) अल्पकालीन वचनबद्व अवधि पूर्ण हो जाने पर ;

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते शर्ते पूर्ण हो जाने पर ;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।

(4) संविदा पूरी होने पर सेवान्मुक्त किए गए ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

(5) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया हो।

(घ) विधवा व तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी, यह छूट आयु संबंधी छूटों के साथ होगी।

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के उच्च जाति के सवर्ण–पति पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, की उच्चतर आयु अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(झ) नगर सेना (होमगार्डस) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि की उच्चतर आयु अधिकतम 5 वर्ष की सीमा के अध्यधीन शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में संबंधित नगर सैनिक तथा नान कमीशण्ड अधिकारी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ञ) निःशक्त व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

टिप्पण.– (1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत चयन हेतु पात्र पाये जाते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् त्यागपत्र दे देते हैं। तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई है, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। यह आयु सीमा किसी भी अन्य दशा में शिथिल नहीं की जाएगी।

टिप्पण.– (2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुये किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी 3–11/12/ 1/3, दिनांक 03. 11.2012 एवं 20.11.2012 के अनुसार की जाएगी।

टिप्पण.– (3) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

(दो) – शैक्षणिक अर्हताएं:–

अभ्यर्थी के पास, अनुसूची– तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए, परंतु ,–

(क) अपवादिक मामले में, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हमान सकेगा, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो व्यवसायिक परीक्षा मंडल की राय में अभ्यर्थी को चयन के लिए विचार करने में न्यायोचित ठहराती हों, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंनें ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां ली हों जो सरकार द्वारा विशिष्टत: मान्यता प्राप्त न हों, व्यवसायिक परीक्षा मंडल के विवेक पर परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिए विचार किया जा सकेगा।

(तीन) – फीस–अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा।

9. निरर्हता.–(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा, उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबध में, निरर्हता माना जाएगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने केन्द्र सरकार द्वारा विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा:

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्ह नहीं होगा।

(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परंतु जहां किसी न्यायालय में अभ्यर्थी के विरूद्ध ऐसा कोई मामला लंबित हैं, वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण में अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

10. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों द्वारा सीधी भर्ती :–

(1) सीधी भर्ती, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा ऐसे अंतरालों में की जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से अवधारित करे।

(2) प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्म जांच के पश्चात् प्रत्येक प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची पद के लिए विहित अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में बनाई जाएगी,

(3) लिखित परीक्षा में उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों के दस गुने से अधिक नहीं होगी, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों पर विचार उसी क्रम में होगा, जिस क्रम में उनके नाम उपरोक्त उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार बनाई गई सूची में आए हों,

(4) यदि चयन समिति लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार, दोनों के द्वारा भर्ती करना विनिश्चत करती है तो परीक्षा में उपसजात होने के लिए अनुज्ञात अभ्यर्थियों की संख्या वही होगी जो उप नियम (2) में है, किन्तु चयन समिति प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से अनधिक ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी, जो चयन समिति द्वारा अधिकथित स्तर मान के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्ह हों,

(5) जब सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार द्वारा की जाना है, तो साक्षात्कार के लिए आबंटित अंक अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे,

(6) जब सीधी भर्ती केवल साक्षात्कार द्वारा की जानी है तो मौखिक परीक्षा के लिए आबंटित अंक अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। शेष अंक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. स्काउट गाइड की गतिविधियों में भाग लेने, खेलों / क्रीड़ा तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों में के, जो राज्य स्तर से निम्न स्तर की न हो, आधार पर दिए जाएंगे; ऐसी विभिन्न गतिविधियों के लिए अंकों के वितरण तथा अन्य मान का विनिश्चय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(7) साक्षात्कार में अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण उसके व्यक्तित्व, सामान्य प्रावीण्य, वृत्तिक ज्ञान, स्थानीय बोली में वार्तालाप, कौशल, स्थानीय पर्यावरण का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य रुचि आदि को ध्यान में रखते हुए मौखिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा।

(8) लिखित परीक्षा, आयुक्त / संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय द्वारा चयन समिति के निदेशन तथा पर्यवेक्षण में, समय–समय पर नियत तिथियों पर ली जाएगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती .–**

(1) (एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों में की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परामर्श कर समय समय पर अवधारित करे।

(दो) मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परामर्श कर जारी करें।

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत और अन्य पिछडे वर्ग के व्यक्तियों के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।

(3) दृष्टिबाधित श्रवणबाधित एवं अस्थिबाधितों के लिए दो प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार निःशक्तजनों के लिए कुल 6 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों के तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुये व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उप नियम (2) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी । अन्य अभ्यर्थियों से भरने के लिए उन्हें अनारक्षित नहीं किया जाएगा।

(7) पद ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे जो निःशक्तजन हो या ऐसे अन्य प्रवर्गों के हों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए । उक्त आरक्षण समस्तर रूप में श्रेणी (होरिजेंटल एंड कम्पार्टमेंट वाईज) अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण— उप नियम (7) के प्रयोजन के लिए समस्तर रूप तथा श्रेणी अनुसार आरक्षण से अभिप्रेत है, प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनारक्षित प्रवर्गों में आरक्षण ।

(8) (एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतराल से किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार, व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परामर्श कर अवधारित करे।

(दो) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा।

12. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति .— (1) चयन सूची से सेवा के संवर्ग पदों पर सेवा में नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित रोस्टर के अनुसार की जाएगी तथा चयन सूची में अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनके संबंधित रैंक पर विचार किए बिना वह सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचानलनालय द्वारा बनाए रखी जाएगी :

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व उक्त समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जो सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त ठहराती हो।

13. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची .–** (1) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे योग्यता के क्रम में क्रमांकित सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त स्तर अर्हित नहीं है किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त घोषित किया है, तैयार तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,

(4) चयन सूची, समिति द्वारा जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी ।

14. **कुछ पदों पर चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती .–** (1) नियुक्ति प्राधिकारी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय के कार्यपालिक संवर्ग सेवाओं से समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी तथा परिवीक्षा अधिकारी के अनुसूची दो में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करने के लिए प्रत्येक वर्ष तारीख अवधारित करेगा।

(2) सीधी भर्ती के प्रक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनूसूचित जातियों अनुसूचितयों जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लियें आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार तथा राज्य सरकार के समय–समय पर इस निमित्त जारी किए गए आदेशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्ग के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम सूची में निर्दिष्ट नियम 12 में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूची दो में यथा विहित इस संचालनालय की कार्यपालिक संवर्ग सेवा से समग्र सामाजिक विस्तार अधिकारी के 10 प्रतिशत पद तथा परिवीक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पद पर पदोन्नति हेतु तुलनात्मक परीक्षा संचालित करेगा।

(6) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हैं।

सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

15. **परिवीक्षा और नियमितीकरण** .– (1) सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय में किसी ऐसे पद पर तब तक नियमित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने परिवीक्षा की कालावधि संतोषजनक रुप से पूर्ण न कर ली हो अथवा विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण न की हो अथवा ऐसा पद धारण करने के लिये सरकार या सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय द्वारा अधिकथित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त न किया हो।

16. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति .–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची–चार में वर्णित सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी।

(2) समिति अनिवार्य रूप से एक वर्ष में दो बार बैठक करेगी जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति हेतु प्रत्येक वर्ष प्रथम बार जनवरी–फरवरी माह में और अगस्त–सितम्बर में होगी।

(3) ऐसे पद जो अनुसूची–दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 16 एवं 20 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे, जो नियम 17 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

(4) आरक्षित रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया सरकार द्वारा इस निमित्त समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगी।

17. पदोन्नति के लिये पात्रता .–

(1) नियम–16 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होने उस वर्ष की पहली जनवरी को उस पद पर जिससे कि पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) या सरकार द्वारा अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो और उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु यहकि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, चयन हेतु चयन श्रेणी सिलेक्शन ग्रेड/पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए केवल इस आधार पर कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है, किन्ही वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा।

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन जारी निर्देशों के अनुसार पदोन्नति हेतु कार्रवाई की जाएगी।

18. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाना .–

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 17 में विहित शर्तो को पूरा करते हों, और जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से

एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी, प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित (अनफोरसिन) रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) ऐसी चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर उनकी सेवा की ज्येष्ठता के कम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:– ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किंतु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाएगा।

(5) यथास्थिति चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रकिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिकमित किया जाना प्रस्तावित है, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण को अभिलिखित करेगी।

19. चयन सूची का अनुमोदन –

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची का अनुमोदित करेगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपान्तरणों के साथ अंतिम रुप से अनुमोदित कर सकेगा जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रुप से यथा अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा सकेगी ।

20. प्रतीक्षा सूची .— रिक्तियों की पूर्ति हेतु समिति द्वारा सूची के अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची होगी जिसमें रिक्तियों के 25 प्रतिशत चयनित व्यक्तियों के नाम होंगे। यह प्रतीक्षा सूची एक वर्ष तक विधिमान्य होगी।

21. निर्वचन .—

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

22. शिथिलीकरण .—

इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होतें हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो,

23. व्यावृत्ति .—

इन नियमों की कोई भी बात अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

24. निरसन .—

मध्यप्रदेश पंचायत एवं सामाजिक न्याय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2004 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान+ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	4	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	9300–34800+3200	—
2.	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	427	– तदैव –	9300–34800+3200	(1) 313 पद जनपद पंचायत हेतु, (2) 114 पद नगरीय निकाय, नगर निगम तथा नगर पालिका हेतु प्रति निकाय एक पद के मान से
3.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9	– तदैव –	9300–34800+3600	—
4.	वार्डन (अपंग कल्याण संस्थान)	1	– तदैव –	9300–34800+3200	राज्य निःशक्त कल्याण संस्थान, जबलपुर के लिए
5.	परिवीक्षा अधिकारी	12	तदैव –	5200–20200+2800	—

6.	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	4	— तदैव —	5200—20200+2800	अस्थि बाधितार्थ विद्यालय इन्दौर और बैतूल एवं मानसिक रूप से अविकसित बालकों का गृह इन्दौर और जबलपुर प्रत्येक के लिए एक पद
7	शिक्षक (अंध मूक बधिर शाला)	7	— तदैव —	9300—34800+3200	—
8.	स्नातक शिक्षक	1	— तदैव —	9300—34800+3200	—
9.	रिसोर्स शिक्षक	4	— तदैव —	9300—34800+3200	—
10.	उच्च श्रेणी शिक्षक	3	— तदैव —	9300—34800+3200	अस्थि बाधितार्थ बालकों का गृह इन्दौर और बैतूल
11.	शिक्षक	1	— तदैव —	5200—20200+2800	अस्थि बाधितार्थ बालकों का गृह इन्दौर के लिए
12.	निम्न श्रेणी शिक्षक	1	— तदैव —	5200—20200+2400	अस्थि बाधितार्थ बालकों का गृह बैतूल के लिए
13.	प्रशिक्षक (निःशक्त बालकों के लिए आश्रयदत्त कर्मशाला)	9	— तदैव —	5200—20200+2800	अस्थि बाधितार्थ बालकों का गृह बैतूल के लिए
14.	कर्मशाला पर्यवेक्षक (शासकीय मूक बधिर प्रशिक्षण संस्थान इन्दौर)	1	— तदैव —	5200—20200+2800	निःशक्त बालकों के गृह इन्दौर के लिए
15.	प्रस्तुतीकरण सहायक	7	— तदैव —	5200—20200+2800	
16.	फोटोकला शिक्षक	1	— तदैव —	9300—34800+3200	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय भोपाल के लिए
17.	वार्डन (निम्न वेतनमान पद)	1	— तदैव —	5200—20200+2400	—
18.	मूक बधिर मीडिएटर	1	— तदैव —	5200—20200+2400	—
19.	मशीन आपरेटर	1	— तदैव —	5200—20200+2400	—
20.	व्यवसायिक प्रशिक्षक/अनुदेशक	10	— तदैव —	5200—20200+2400	—
21.	प्रशिक्षक	3	— तदैव —	5200—20200+2400	—
22.	मेट्रन	1	— तदैव —	5200—20200+2400	—
23.	रेडियो मैकेनिक/आडियो विजुअल मैकेनिक	4	— तदैव —	5200—20200+2400	—
24.	फिल्म लायब्रेरियन	2	— तदैव —	5200—20200+2100	—
25.	संभागीय ग्रंथपाल	4	— तदैव —	5200—20200+2100	—
26.	ब्राडमा आपरेटर	1	— तदैव —	5200—20200+2100	संचालनालय के लिए स्वीकृत।
27.	शिक्षक (सेकेण्ड्री ग्रेड) या शिक्षक/शिक्षक मानसिक रूप से मंद बालकों का गृह एवं निःशक्त बाल गृह	6	— तदैव —	5200—20200+2100	—
28.	उप अंकेक्षक	1	— तदैव —	5200—20200+2400	—
29.	नशाबंदी संगठक	1	— तदैव —	5200—20200+2100	—
30.	प्रमुख कलाकार	38	— तदैव —	5200—20200+2100	—
31.	कलाकार	170	— तदैव —	5200—20200+2400	—
32.	स्टाफ नर्स	2	— तदैव —	5200—20200+2100	भिक्षुक आश्रय केन्द्र, इन्दौर के लिए
33.	डार्करूम सहायक	1	— तदैव —	5200—20200+2100	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय भोपाल के लिए
34.	सिनेमा आपरेटर	21	— तदैव —	5200—20200+1900	—
35.	वाहन चालक	51	— तदैव —	5200—20200+1900	—
	कुल	880	—	—	—

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

कमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशत		अन्य सेवाओं से अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिए)	अभ्युक्ति
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिए)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	4	—	100 प्रतिशत	—	—
2.	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	427	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत लिपिकीय/कार्यपालिक संवर्ग से	—	—
3.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत लिपिकीय संवर्ग से	—	विहित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा।
4.	वार्डन (विकलांग कल्याण संस्थान)	1	—	100 प्रतिशत	—	—
5.	परिवीक्षा अधिकारी	12	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत कार्यपालिक संवर्ग से	—	फीडिंग केडर के पद अन्य विभाग में अन्तरित होने से।
6.	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	4	100 प्रतिशत	—	—	—
7.	शिक्षक(अंध, मूक बधिर शाला)	71	100 प्रतिशत	—	—	—
8.	स्नातक शिक्षक	1	—	100 प्रतिशत	—	—
9.	रिसोर्स शिक्षक	4	—	100 प्रतिशत	—	—
10.	उच्च श्रेणी शिक्षक	8	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	—	अस्थि बाधितार्थ बालकों के गृह इंदौर/बैतूल के लिए
11.	शिक्षक	1	100 प्रतिशत	—	—	अस्थि बाधितार्थ बालकों के गृह इंदौर के लिए
12.	निम्न श्रेणी शिक्षक	1	100 प्रतिशत	—	—	अस्थि बाधितार्थ बालगृह बैतूल के लिए
13.	प्रशिक्षक (निःशक्त बालकों के लिए आश्रय कर्मशाला)	9	—	100 प्रतिशत	—	—
14.	कर्मशाला पर्यवेक्षक (शासकीय मूक बधिर प्रशिक्षण संस्थान इंदौर)	1	—	100 प्रतिशत	—	पद विकलांग बालकों के गृह इन्दौर के लिए
15.	प्रस्तुतीकरण सहायक	7	—	100 प्रतिशत	—	—
16	फोटोकला शिक्षक	1	100 प्रतिशत	—	—	—
17.	वार्डन (निम्न वेतनमान पद)	1	100 प्रतिशत	—	—	—
18.	मूक बधिर मीडिएटर	1	—	—	—	सांख्येतर पद
19.	मशीन आपरेटर	1	—	—	—	सांख्येतर पद
20.	व्यवसायिक प्रशिक्षक/अनुदेशक	10	100 प्रतिशत	—	—	—
21.	अनुदेशक	3	100 प्रतिशत	—	—	—
22.	मेट्रन	1	—	100 प्रतिशत	—	—
23.	रेडियो मैकेनिक/आडियो विजुअल मैकेनिक	4	—	—	—	—
24.	फिल्म लायब्रेरियन	2	—	—	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	संभागीय ग्रंथपाल	4	—	—	—	सांख्येतर पद
26.	ब्राडमा आपरेटर	1	—	—	—	सांख्येतर पद
27.	शिक्षक (सेकेंड्री ग्रेड)/ शिक्षक मानसिक रूप से मंद बालकों का गृह एवं निःशक्त बाल गृह	6	100 प्रतिशत	—	—	—
28.	उप अंकेक्षक	1	—	—	—	सांख्येतर पद
29.	नशाबंदी संगठक	1	100 प्रतिशत	—	—	—
30.	प्रमुख कलाकार	38	—	100 प्रतिशत	—	—
31.	कलाकार	170	—	—	—	डाइंग काडर
32.	स्टाफ नर्स	2	—	—	—	सांख्येतर पद
33.	डार्करूम सहायक	1	—	—	—	सांख्येतर पद
34.	सिनेमा आपरेटर	21	—	—	—	सांख्येतर पद
35.	वाहन चालक	51	100 प्रतिशत	—	—	—

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु एवं अर्हताएं

अनु-कमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक या समकक्ष परीक्षा (2) कम्प्युटर एप्लीकेशन में 50 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा (3) हिन्दी/अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।	(1) अपर संचालक — अध्यक्ष (2) संयुक्त संचालक — सदस्य (3) संयुक्त संचालक (वित्त) — सदस्य (4) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी — सदस्य	
2.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या वाणिज्य या गणित में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा (2) कम्प्युटरएप्लीकेशन में 50 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा (3) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान।	— तदैव —	
3.	परिवीक्षा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस. डब्ल्यू./मुख्य समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा (2) कम्प्युटर एप्लीकेशन में 50 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा (3) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान।	— तदैव —	
4.	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन हायर सेकेण्ड्री या समकक्ष परीक्षा कोई उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) मान्यताप्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी एवं आक्यूपेशनल थेरपी में तीन वर्ष का डिप्लोमा तथा संबंधित कार्य में दो वर्ष का अनुभव (3) हिन्दी/अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान	— तदैव —	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	शिक्षक (दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शाला)	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) विकलांगता से संबंधित बी.एड. परीक्षा (3) कम्प्युटर एप्लीकेशन में 50 प्रतिशत अंको के साथ डिप्लोमा (4) विकलांगता बालकों का संस्था में दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित के अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव (5) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान।	-- तदैव --	
6.	उच्च श्रेणी शिक्षक /शिक्षक/ निम्न श्रेणी शिक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक या समकक्ष परीक्षा (2) सेबरल पॉलिसी से संबंधित विशेष उपाधि या डिप्लोमा (3) मान्यताप्राप्त अस्थि बाधित संस्था में हिन्दी और अंग्रेजी के अध्यापन का दो वर्ष का प्रमाण पत्र तथा अनुभव (4) विकलांगता के क्षेत्र में बी.एड. की उपाधि।	-- तदैव --	
7.	फोटोकला शिक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन हायर सेकेण्ड्री या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा (3) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान (4) वांछनीयः- फोटोग्राफी विषय में अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव।	-- तदैव --	
8.	वार्डन (अंध मूक और बधिर) निम्न वेतनमान	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन हायर सेकेण्ड्री या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) शासकीय पॉलीटेक्निक से संबंधित व्यवसाय में डिप्लोमा (3) आई.टी.आई. का डिप्लोमा एवं शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से दो वर्ष का कार्य करने का अनुभव (4) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान (5) शासकीय या निजी संस्था से संबंधित व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव।	-- तदैव --	
9.	व्यावसायिक प्रशिक्षक/ अनुदेशक।	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन हायर सेकेण्ड्री या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना (2) शासकीय पॉलोटेक्निक से संबंधित व्यवसाय में डिप्लोमा (3) आई.टी.आई. का डिप्लोमा एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से दो वर्ष का कार्य करने का अनुभव (4) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान (5) शासकीय या निजी संस्था से संबंधित व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव।	-- तदैव --	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	मेट्रन	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक (2) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान (3) शासकीय या मान्यताप्राप्त संस्था के अधीन समाज कल्याण या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।	– तदैव –	
11.	शिक्षक (सेकेण्ड्री ग्रेड)/शिक्षक मानसिक रूप से मंद बालकों का गृह एवं निःशक्त बाल गृह	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक (2) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान (3) किसी मान्यता प्राप्त विकलांग बालकों की संस्था में शिक्षक के रूप में कार्य किया हो अथवा मानसिक रूप से अविकसित बालकों को अध्यापन का एक वर्ष का अनुभव।	– तदैव –	
12.	नशाबंदी संगठक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक (2) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान (3) नशाबंदी से संबंधित संस्था में दो वर्ष कार्य करने का अनुभव।	– तदैव –	
13.	वाहन चालक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) आठवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) वाहन चालक की स्थाई अनुज्ञप्ति (3) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान (4) वाहन मरम्मत का अनुभव (5) हल्के एवं भारी वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव।	– तदैव –	

अनुसूची—चार
(नियम 16 एवं 17 देखिए)
पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (3) में दर्शाए पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम (2) में दर्शाए गए पद पर की गई सेवा के वर्षों की संख्या अर्हकारी सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6.	उप अंकेक्षक मूक एवं बधिर मीडियेटर ब्राडमा आपरेटर फिल्म आपरेटर संभागीय ग्रंथपाल मेट्रन	परिवीक्षा अधिकारी	5 वर्ष	(1) अपर संचालक – अध्यक्ष (2) संयुक्त संचालक – सदस्य (3) संयुक्त संचालक (वित्त) – सदस्य (4) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. 8 9. 10. 11. 12.	उप अंकेक्षक मूक एवं बधिर मीडियेटर ब्राडमा आपरेटर फिल्म आपरेटर संभागीय ग्रंथपाल मेट्रन	सिनेग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	5 वर्ष	– तदैव –	
13.	वार्डन (निम्न वेतनमान पद)	वार्डन अंध एवं मूक शाला जबलपुर (उच्च वेतन पद)	5 वर्ष	– तदैव –	
14. 15. 16.	रेडियो मैकेनिक/ आडियो विजुयल तकनीशियन फिल्म आपरेटर फिल्म लायब्रेरियन.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	5 वर्ष	– तदैव –	
17.	वाहन चालक /समूह परिचारक(चतुर्थ श्रेणी)	सिनेमा आपरेटर	5 वर्ष	– तदैव –	
18.	प्रमुख कलाकार	प्रस्तुतीकरण सहायक	5 वर्ष	– तदैव –	
19.	कलाकार	प्रमुख कलाकार	5 वर्ष	– तदैव –	
20.	शिक्षक/निम्न श्रेणी शिक्षक	उच्च श्रेणी शिक्षक	5 वर्ष	– तदैव –	
21.	व्यावसायिक प्रशिक्षक अनुदेशक/अनुदेशक	प्रशिक्षक (अपंग बालकों हेतु आश्रय कर्मशाला/ कर्मशाला पर्यवेक्षक (शासकीय मूक एवं बधिर प्रशिक्षण संस्थान इन्दौर)	5 वर्ष	– तदैव –	
22.	शिक्षक (सेकेण्ड्री ग्रेड) या शिक्षक मानसिक रूप से मंद बालकों का गृह एवं अपंग बालकां का गृह	रिसोर्स शिक्षक, स्नातक शिक्षक,	5 वर्ष	– तदैव –	
23.	स्टाफ नर्स	मेट्रन	5 वर्ष	– तदैव –	
24.	डार्करूम सहायक	मूक एवं बधिर मीडियेटर	5 वर्ष	– तदैव –	

टिपपणी:– विभागीय पदोन्नति समिति में राज्य सरकार द्वारा विचरित नियमों के अनुसरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संवर्ग का एक सदस्य अनिवार्य रूप से होंगा।

N0. F 2-1/2015/ XXVI-1 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment of the class-III (Executive) members of the Directorate of the Social Justice and Disabled Persons Welfare, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare Class-III (Executive) (Recruitment and General Conditions of Service) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" means Commissioner/Director, Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare, Madhya Pradesh;

(b) "Commissioner" means the Commissioner of Social Justice and Disabled Persons Welfare, Madhya Pradesh;

(c) "Committee" means the Departmental Promotion Committee;

(d) " Director " means the Director of Social Justice and Disabled Persons Welfare, Madhya Pradesh;

(e) "Disabled Person" means disabled person as defined in the Disabled Person (Equal Opportunities, Protection of Right And Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996);

(f) "Examination" means competitive examination to be conducted for recruitment to the service;

(g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(h) "Governor" means Governor of Madhya Pradesh;

(i) "Other Backward Classes" means Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84 dated the 26th December, 1984, as amended from time to time;

(j) "Professional Examination Board" means the Madhya Pradesh Professional Examination Board which shall conduct examination for recruitment to the service.

(k) " Schedule" means Schedules appended to these rules;

(l) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(m) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(n) "Service" means Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare Class III (Executive) Service;

(o) "State" means the Government of Madhya Pradesh.

3. Scope and application.

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of Service.

The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity any post specified in Schedule- I;

(2) persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc.-

The classification of the service, the number of posts included in the service and scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule- I :

Provided that the State Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment

(1) Recruitment to the service after commencement of the these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment through competitive examination and interview; or by selection;

(b) by promotion as shown in column (2) of Schedule -IV;

(c) by transfer of persons who hold a post in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule - I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Professional Examination Board;

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, he may, after approval of the Government through General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said-rule, as it may, by an order in this behalf, prescribe

7. Appointment to Service.-

All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6 above.

8. Conditions of Eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(i) Age- (a) He must have attained the age of 18 years specified in column (3) of Schedule -III and not attained the age of 40 years specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection/recruitment

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes Category.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Madhya Pradesh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent Government Servant, shall not be more than 45 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post shall not be more than 45 years of age. This relaxation shall also be permissible to the Contingency Paid Employees, Work Changed Employees and employees working in the Project Implementing Committees

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell:

Provided that the resultant age shall not exceed the upper age limit by more than 5 years.

Explanation:- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of the State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him:

Provided that the resultant age shall not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the

economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service, namely:-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on

(a) Completion of short term service;

(b) Fulfilling the condition of enrollment;

(3) Ex-personal of Madras Civil Units:

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Term Service or Regular Commissioned Officers;

(5) Officers/employees discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(d) The general upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of widow and divorced women candidates. The relaxation shall be in addition to the other relaxation to age:

(e) The upper age limit shall be relaxable upto two years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded Superior Caste Partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department.

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Government of Madhya Pradesh /Corporation/ Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 5 years

but in no case the age of concerned Home Guard and Non-Commissioned Officer shall exceed 45 years.

(j) The upper age limit shall be relaxed upto maximum 10 years in respect of disabled persons.

Note.- (1) Candidates, who are found eligible for selection under the age relaxation mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after of such selection .They shall however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. This age limit shall not relaxed in any other case.

Note.- (2) The total relaxed period for every category shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum limit of age shall be calculated in accordance with the circular No.C-3-11/12/1/3 the 03-11-2012 and 2011-2012, issued by the Government.

Note.- (3) In no other case these age limits shall be relaxed, departmental candidate must obtain prior permission of hisAppointing Authority to appear for the selection process.

(ii) Educational qualifications.-The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that,-

(a) in exceptional cases the Professional Examination Board may, on the recommendation, of the Appointing Authority treat any candidate as qualified, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause but has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Professional Examination Board justifies the consideration of the candidate for selection ; and

(b) candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from Foreign Universities being University not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination /selection at the discretion of the Professional Examination Board.

(iii) Fees.-The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-** (1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Professional Examination Board to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage by the Central Government.

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children out of them one is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two children are born simultaneously.

(4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that where such case is pending in a court against the candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the court.

10. **Direct Recruitment by written test or by interview or by both.-** (1) Direct recruitment shall be made by conducting a written test or interview or by both at such intervals, as the Appointing Authority may, from time to time determine in consultation with the General Administration Department.

(2) After scrutiny of the applications received a list of eligible candidates for each category shall be prepared in descending order of the marks obtained in the qualifying examination prescribed for the post.

(3) The number of candidates allowed to appear in written test or called for interview shall not exceed ten times of the vacancies in each category. The candidates shall be considered for written test or interview in the order in which their names appear in the list prepared in accordance with the provisions of above sub-rule (1)

(4) In case the Selection Committee decides to make recruitment through written examination and interview both the number of candidates

allowed to appear in the test shall be the same as in sub-rule (2) but the selection committee shall interview such candidates, which shall not exceed three times of the number of vacancies in each category as may qualify in the written examination according to the standard laid down by the Selection Committee.

(5) When direct recruitment is made by conducting a written test alongwith interview, the marks allotted for interview shall not exceed ten percent of the maximum marks.

(6) When direct recruitment is made by conducting interview only, the marks allotted for oral test shall not exceed ten percent of the maximum marks. The remaining marks shall be awarded on the basis of academic qualifications, experience, participation in activities of NCC/NSS, Scouts Guides, sports/games and extra curricular activities of not below the level of State etc. The distribution of marks for such various activities and other norms shall be decided by Selection Committee.

(7) In interview the suitability of the candidate shall be assessed by oral test having regard to their personality, general proficiency, professional knowledge, communication skills in local dialect, knowledge of local environment, general knowledge and general aptitude etc.

(8) The written test shall be conducted by the Commissioner /Director, Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare on fixed date under the direction and supervision of the selection committee, from time to time.

11. Direct recruitment by competitive examination.- (1) (i) The competitive examination shall be held at such intervals, as the State Government, in consultation with the Madhya Pradesh Professional Examination Board determine, from time to time

(ii) The examination shall be conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board in accordance with the order issued by the State Government in consultation with the Professional Examination Board from time to time.

(2) There shall be 16 percent and 20 percent reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14 percent for Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(3) Two percent posts each for the candidates having blindness or low vision, hearing impairment and locomoter shall be reserved. Accordingly total 6 percent posts shall be reserved for disabled persons.

(4) In filling up the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall be considered for appointment in order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Madhya Pradesh Professional Examination Board suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved under sub rule (2) for the candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, ,as the case may be.

(6) If the required number of candidates of Scheduled Castes and Scheduled tribes are not available to fill all the vacancies reserved for them, then the remaining vacancies shall not be filled from other candidates without prior permission of the State Government. They shall not be declared unreserved to fill the vacancies from other candidates.

(7) Posts shall be reserved for candidates who are disabled persons or for such other classes as may be determined by the State Government, from time to time. The said reservation shall be horizontal and compartment-wise

Explanation:- For the purpose of sub-rule (7)"horizontal and compartment wise reservation "means reservation in each category namely Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and unreserved.

(8) (i) The selection for recruitment in the service shall be made at such interval, as the State Government may determine in consultation with the Madhya Pradesh Professional Examination Board.

(ii) The selection of candidates for service shall be made by the Madhya Pradesh Professional Examination Board after interview.

12. **Appointment to service from the select list.- (1)** Appointments to the service from the select list to posts on the cadre of the service shall be made in accordance with the roster prescribed by the State Government under the Madhya Pradesh Lok Seva (Annusuchit Jatiyon, Annusuchit Jan Jatiyon, Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam , 1994 (No. 21 of 1994) and maintained by the Directorate of Social Justice and Disabled persons welfare irrespective of their relative rank as compared with other candidates in the select list:

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the Appointing Authority is satisfied that the vacancy is not likely to remain in order for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the Service of Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare.

13. List of Candidates recommended by the Selection Committee:- (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the selection committee and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by such standard, but are declared by the committee to be suitable for appointment in the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration shall send to the Appointing Authority. The List shall also be published for the information of general public.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of services) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order, in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list, confers no right to the appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as it may considers necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(4) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the committee.

14. Direct recruitment by Competitive Examination for selection on some post.-

(1) The Appointing Authority shall determine every year the date to conduct competitive examination for the recruitment to the posts of Samagra Samajik Suraksha Vistar Officer and Probation Officer from the Executive Cadre Services of the Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare as specified in Schedule II

(2) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Ansuchit Jatiyon, Ansuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and according to the orders of the State Government issued in this behalf, from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the women candidates in accordance with provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for the Appointment of Women) Rules, 1997.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to the rule 12 irrespective of their relative rank in comparison to other candidates.

(5) The appointing authority shall conduct comparative examination for the promotion 10 % posts of Samagra Samajik Vistar Officer and 50% posts of probation officer from executive cadre services of this directorate as described in Schedule II.

(6) Subject to the provisions of these rules the candidates shall be considered for appointment on the available vacancies in the order in which their names appear in the list. The inclusion of name of any candidate in the list confers no right to the appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as it may deem necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

15. **Probation and regularization.**-(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) The person appointed on any post of the Directorate of Social Justice and Disabled Persons welfare shall not be regularized until the probation period is not completed satisfactorily by him or he has not passed the departmental examination ,if any, or has not undergone training for the post ,if any, as laid down by the Government or the Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare for holding such posts.

16. Appointment by Promotion.-

(1) There shall be constituted a committee of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall compulsorily meet twice in a year that is in the month of January-February for the first time and August- September every year the

promotion of the members of the service as per the circular of General Administration Department dated 24th April, 2013.

(3) Such post as specified in Scheduled -II which are to be filled by promotion 16 percent and 20 percent post shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 17.

(4) For the promotion on the vacant reserved post the procedure shall be followed according to the instructions issued by the Government from time to time in this behalf.

17. Eligibility for promotion.-(1) The committee referred to in sub-rule (1) of rule 16 shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January and 1st August of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Covernments specified in column (3) of the Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that no junior person shall be considered for selection of Selection-Grade/Promotion in preference to the persons senior to him, only on the basis of completing the prescribed period of service.

(2) The action for promotion shall be taken in accordance with the instruction issued under Madhya Pradesh Lokseva (Pramotion) Niyam, 2002.

18. Preparation of list of suitable candidates

(1) The Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule 17 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the officers/employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service on posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

Explanation.- A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of service, the Committee shall record its reason for the proposed supersession.

19. Approval of Select List.- (1) The Appointing Authority shall consider list prepared by the Committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary approve the list.

(2) If the Appointing Authority consider it necessary to make any change in the list received from the Committee, he shall inform the Committee of the said changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Committee and approve the list finally with such modification if any, as may be in the opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in the column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be inforce for one year or until it is reviewed or revised but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

20. Waiting list.- There shall be a waiting list in addition to a selection list of persons prepared by the Committee for fulfilling the vacancy containing the names of 25% of the selected persons of the vacancy. This waiting list shall be valid for one year

21. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision shall be final thereon.

22. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner, as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

23. Savings.-Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the orders issued by the State Government in this behalf, from time to time .

24. Repeal.- The Madhya Pradesh Panchayat and Social Justice Class III(Executive) Service Recruitment Rules, 2004 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the said rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Scheduie – I
(see rule 5)
Classification of Service, Scale of Pay and Posts including in the service

S.No.	Name of Posts included in the service	Number of Posts	Classification	Pay Scale + Grade pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Junior Technical Assistant	4	Class-III (Executive)	9300 – 34800 + 3200	--
2.	Samagra Samajik Suraksha Vistar Officer	427	-do-	9300 – 34800 + 3200	(1) 313 posts for Janpad Panchayat (2) 114 posts for Municipal Bodies (Municipal Corporation and Municipalities) at the rate of a post for each body.
3.	Assistant Stastical Officer	9	-do-	9300 – 34800 + 3600	--
4.	Warden, Handicapped Welfare Institute	1	-do-	9300 – 34800 + 3200	For State Disabled Welfare Institute, Jabalpur
5	Probation Officer	12	-do-	5200 – 20200 + 2800	--
6.	Occupational Therapist	4	-do-	5200 – 20200 + 2800	One post each for Orthopedically Handicapped School, Indore and Betul and for Mentally Retarded Children Home, Indore and Jabalpur
7.	Teacher (Blind, Dumb and Deaf School)	71	-do-	9300 – 34800 + 3200	--
8.	Graduate Teacher	1	-do-	9300 – 34800 + 3200	--
9.	Resource Teacher	4	-do-	9300 – 34800 + 3200	--

10.	Upper Division Teacher	8	-do-	9300 – 34800 + 3200	Orthopedically Disabled Children Home, Indore and Betul
11.	Teacher	1	-do-	5200 – 20200 + 2800	For Orthopedically Handicapped Children Home, Indore
12.	Lower Division Teacher	1	-do-	5200 – 20200 + 2400	For Orthopedically Handicapped Children Home, Betul
13.	Instructor, (Shelter Workshop for Disabled Children)	9	-do-	5200 – 20200 + 2800	For Orthopedically Handicapped Children Home, Betul
14.	Workshop Supervisor (Government Dumb and Deaf Training Institute, Indore)	1	-do-	5200 – 20200 + 2800	For Disabled (Apang) Children Home, Indore
15.	Production Assistant	7	-do-	5200 – 20200 + 2800	
16.	Photography Teacher	1	-do-	9300 – 34800 + 3200	For Government Visually and Hearing Handicapped School Bhopal
17.	Warden (Lower Scale Post)	1	-do-	5200 – 20200 + 2400	
18.	Dumb and Deaf Mediator	1	-do-	5200 – 20200 + 2400	
19.	Machine Operator	1	-do-	5200 – 20200 + 2400	
20.	Vocational Training Instructor and Instructor	10	-do-	5200 – 20200 + 2400	
21.	Instructor	3	-do-	5200 – 20200 + 2400	
22.	Matron	1	-do-	5200 – 20200 + 2400	
23.	Radio Mechanic/Audio Visual Technician	4	-do-	5200 – 20200 + 2400	
24.	Film Librarian	2	-do-	5200 – 20200 + 2100	
25.	Divisional Librarian	4	-do-	5200 – 20200 + 2100	-
26.	Bradma Operator	1	-do-	5200 – 20200 + 2100	Sanctioned for Sanchalnalaya
27.	Teacher (Secondary Grade) or Teacher Mentally Retarded Children Home and Disabled Children Home	6	-do-	5200 – 20200 + 2100	--
28.	Sub Auditor	1	-do-	5200 – 20200 + 2400	--
29.	Prohibition Organiser	1	-do-	5200 – 20200 + 2100	--
30.	Chief Artist	38	-do-	5200 – 20200 + 2100	--
31.	Artist	170	-do-	5200 – 20200 + 2400	--
32.	Staff Nurse	2	-do-	5200 – 20200 + 2100	For Beggar Shelter Centre, Indore
33.	Darkroom Assistant	1	-do-	5200 – 20200 + 2100	For Government Visually Handicapped and Hearing Handicapped School, Bhopal
34.	Cinema Operator	21	-do-	5200 – 20200 + 1900	--
35.	Driver	51	-do-	5200 – 20200 + 1900	--
	Total	880	--	--	--

Schedule II

(see rule 6)
Method of Recruitment

S.No.	Name of the posts included in the Service	Number of Posts	Percentage of the number of Posts to be filled in			Remark
			By direct Recruitment (see rule 6 (1) (a)	By promotion of Member of the Service (See rule 6 (1) (b)	By temporary transfer from Other Services (See rule 6 (1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Junior Technical Assistant	4	-	100 percent	-	-
2.	Samagra Samajik Suraksha Vistar Officer	427	90 percent	10 percent from Ministerial/ Executive Cadre	-	-
3.	Assistant Statistical Officer	9	85 Percent	15 Percent from Ministerial Cadre	-	Employees having prescribed qualifications shall be considered
4.	Warden, Handicapped Welfare Institute	1	-	100 Percent	-	-
5.	Probation Officer	12	50 Percent	50 Percent from Executive Cadre	-	Post of feeding cadre transferred in other Department
6.	Occupational Therapist	4	100 Percent	-	-	-
7.	Teacher (Blind, Dumb and deaf School)	71	100 Percent	-	-	-
8.	Graduate teacher	1	-	100 percent	-	-
9.	Resource teacher	4	-	100 percent	-	-
10.	Upper Division Teacher	8	80 percent	20 percent	-	For Orthopaedically Handicapped Children Home, Indore/Betul
11.	Teacher	1	100 percent	-	-	For Orthopaedically Handicapped Children Home, Indore
12.	Lower Division Teacher	1	100 percent	-	-	For Orthopaedically Handicapped Children Home, Betul
13.	Instructor (Shelter Workshop for disabled Children)	9	-	100 percent	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Workshop Supervisor(Government Dumb and Deaf Training Institute Indore)	1	-	100 percent	-	Post For disabled (Apang) Children Home Indore
15.	Production Assistant	7	-	100 percent	-	-
16.	Photography Teacher	1	100 percent	-	-	-
17.	Warden (Lower Scale Post)	1	100 percent	-	-	-
18.	Dumb and Deaf Mediator	1	-	-	-	Sankhettar Post
19.	Machine Operator	1	-	-	-	Sankhettar Post
20.	Vocational Training Instructor and Instructor	10	100 percent		-	-
21.	Instructor	3	100 percent	-	-	-
22.	Matron	1	-	100 percent	-	-
23.	Radio Mechanic/Audio Visual Technician	4	-	-	-	-
24.	Film Librarian	2	-	-	-	-
25.	Divisional Librarian	4	-	-	-	Sankhettar Post
26.	Bradma Operator	1	-	-	-	Sankhettar Post
27.	Teacher (Secondary Grade) or Teacher Mentally Retarded Children Home and Disabled Children Home	6	100 percent	-	-	-
28.	Sub Auditor	1	-	-	-	Sankhettar Post
29.	Prohibition Organiser	1	100 percent	-	-	-
30.	Chief Artist	38	-	100 percent	-	-
31.	Artist	170	-	-	-	Dying Cadre
32.	Staff Nurse	2	-	-	-	Sankhettar Post
33.	Darkroom Assistant	1	-	-	-	Sankhettar Post
34	Cinema Operator	21	-	-	-	Sankhettar Post
35.	Driver	51	100 percent	-	-	-

Schedule – III

(See rule 8)

Age and qualifications of Persons Recruited directly

S.No.	Name of Post	Minimum age Limit	Maximum age Limit	Prescribed Educational Qualifications	Member of selection committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Samgra Samajik Suraksha Vistar Officer	21	40	(1)Graduation in Arts, Science or Commerce from any recognized University or equivalent examination. (2) Diploma in Computer Application with 50% marks (3) Sufficient knowledge of Hindi/English	(1) Additional Director- Chairman (2)Joint Director - Member (3)Joint Director (Finance) – Member (4)One officer from Scheduled Caste/ Scheduled Tribes category nominated by the Commissioner	
2.	Assistant Stastical Officer	21	40	(1) Post Graduation in Statistics or Commerce or Mathematics having atleast Second Division from any recognized University or any equivalent examination. (2) Diploma in Computer Application with 50% marks (3) Sufficient knowledge of Hindi.	---Do--	
3.	Probation Officer	21	40	(1) Post Graduation in MSW/ Main Sociology from any recognized University or any equivalent examination. (2) Diploma in Computer Application with 50% marks (3) Sufficient knowledge of Hindi.	---Do--	
4	Occupational Therapist	21	40	(1) Must have passed Higher Secondary under 10+2 education pattern or any equivalent examination. (2)Three years' Diploma in Physiotherapy and Occupational therapy from a recognizes Institution and two years experience in related work (3) Sufficient knowledge of Hindi/English	--Do--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Teacher (Blind and Deaf School)	21	40	(1)Graduation from any recognized Institute/ University or equivalent examination. (2) Passed B.Ed examination relating to Handicapped. (3) Diploma in Computer Application with 50% marks. (4)Two years experience in teaching to Blind and Deaf in the Institution of Handicapped Children. (5) Sufficient knowledge of Hindi.	--Do--	
6.	Upper Division Teacher /Teacher/ Lower Division Teacher	21	40	(1)Graduation in Arts or Science or Commerce from any recognized University or any equivalent examination. (2) Special Degree or Diploma relating to Ceberal Policy (3) Certificate and experience of two years' teaching in Hindi and English in the recognized Institution for Orthopedically Handicapped. (4) B.Ed degree related to Handicapped.	--Do--	
7	Photography Teacher	21	40	(1) Passed Higher secondary under 10+2 education pattern any equivalent examination. (2) Diploma in Photography from University or Institution recognized by the Government. (3) Sufficient knowledge of Hindi. **Desirable :-** Two years experience in teaching photography subject.	--Do--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Warden (Blind, Dumb and Deaf) Lower scale post	21	40	(1) Passed Higher secondary under 10+2 education pattern any equivalent examination. or (2) Diploma in related profession from Government Polytechnic. (3) Diploma of I.T.I and two years working experience in the institution recognized by the Government. (4) Sufficient knowledge of Hindi. (5)Two years experience in the related profession from the Government or private Institution.	--Do--	
9.	Vocational Training Instructor/Instructor	21	40	(1) Passed Higher Secondary under 10+2 education pattern or any equivalent examination. (2)Diploma in related profession from Government Polytechnic. 3) Diploma of I.T.I and two years working experience in the Institution recognized by the Government. (4) Sufficient knowledge of Hindi. (5)Two years experience in the related profession from the Government or private institution.	--Do--	
10.	Matron	21	40	(1)Graduation in Arts or Science or Commerce from any recognized University. (2) Sufficient knowledge of Hindi. (3) Two years' working experience in the field of Social Welfare or Rural development under the Government or recognized Institution.	--Do--	
11.	Teacher (Secondary Grade) or Teacher Mentally retarded Children Home and Disabled Children Home	21	40	(1)Graduation in Arts or Science or Commerce from any recognized University. (2) Sufficient knowledge of Hindi. (3) Having of worked as a teacher in the recognized Institution of Handicapped children or one year's experience of teaching to mentally retarded children.	--Do--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Prohibition Organizer	21	40	(1)Graduation in Arts or Science or Commerce from any recognized University. (2) Sufficient knowledge of Hindi. (3)Two years' working experience in a related institution of Prohibition	--Do--	
13	Driver	21	40	(1) Passed VIII" Class or equivalent examination. (2) Permanent Commercial Driving Llicense. (3)Sufficient knowledge of Hindi. (4).Two years experience of driving of light and heavy vehicle.	--Do--	

Schedule – IV
(See rule 16 and 17)
Post to be filled by promotion

S.No.	Name of Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Number of years of service on the post shown in column(2) for promotion to the post shown in column (3) Minimum period of qualifying service	Members of Departmental promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sub -Auditor	Probation Officer	5 Years	(1)Additional Director – Chairman (2)Joint Director/Deputy Director(Finance).- Member (3)Deputy Director (Directorate) Posted in other Section or Plan - Member (4) One officer from Scheduled Castes /Scheduled Tribes category nominated by the Commissioner -Member	
2.	Deaf and Dumb mediator				
3.	Bradma Operator				
4	Film Operator				
5.	Divisional Librarian				
6.	Matron				
7.	Sub -Auditor	Samgra Samajik Suraksha Vistar Officer	5 Years	--Do--	
8.	Deaf and Dumb mediator				
9.	Bradma Operator				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Film Operator			--Do--	
11.	Divisional Librarian				
12.	Matron				
13.	Warden (Lower Scale Post	Warden Blind and Dumb School, Jabalpur (Higher Scale Post)	5 Years	--Do--	
14.	Radio Mechanic/Audic Visual Technician	Junior Technical Assistant	5 Years	--Do--	
15.	Film Operator				
16.	Film Librarian				
17.	Driver/Battery Assistant (Class-IV)	Film Operator	5 Years	--Do--	
18.	Chief Artist	Production Assistant	5 Years	--Do--	
19.	Artist	Chief Artist	5 Years	--Do--	
20.	Teacher /Lower Division Teacher	Upper Division Teacher	5 Years	--Do--	
21.	Vocational Training Instructor/Instructor	Instructor Shelter Workshop for Disabled Children/ Workshop Supervisor (Government Dumb and deaf training Institute, Indore)	5 Years	--Do--	
22.	Teacher (Secondary Grade) or Teacher, Mentally Retarded Children Home Disabled Children Home	Resource Teacher Graduate Teacher	5 Years	--Do--	
23.	Staff Nurse	Matron	5 Years	--Do--	
24.	Darkroom Assistant	Dumb and Deaf Mediator	5 Years	--Do--	

Note—In departmental promotion committee, there shall be a member compulsorily belonging to Scheduled caste or Scheduled tribe category, as par rules formed by the state Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.